

# हिन्दुस्तान

रांची • मंगलवार • 14 जुलाई 2020

## मत्स्य निदेशालय झारखण्ड, रांची

भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत मत्स्य प्रक्षेत्र की नई योजना

### प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

एतद् द्वारा राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मछलीपालन को रोजगार के रूप में अपनाने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत नई योजना- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मात्स्यिकी प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकी सहायता, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

### लामुकोन्मुखी योजना में सरकारी सहायता का प्रकार

भारत सरकार  
का अंशदान

राज्य सरकार  
का अंशदान

लामुक का  
अंशदान\*\*

\*\*इकाई लागत की कुल 40% सहायता

(भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सामान्य को टिके लिए)

\*\* SC/ST एवं महिलाओं के लिए विशेष सहायता-इकाई लागत का कुल 60% (भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा)

इस योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्य, विस्तृत विवरणी, इकाई लागत तथा योजना हेतु अन्य-आवश्यक माप-दण्डों की

# हिन्दुस्तान

रांची • मंगलवार • 14 जुलाई 2020

## मत्स्य निदेशालय झारखण्ड, राँची

भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत मत्स्य प्रक्षेत्र की नई योजना

### प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

एतद् द्वारा राज्य के सभी मत्स्य कृषकों एवं मछलीपालन को रोजगार के रूप में अपनाने वालों के लिए भारत सरकार द्वारा "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत नई योजना- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मात्स्यिकी प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकी सहायता, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु सहायता उपलब्ध कराया जाना है।

### लामुकोन्मुखी योजना में सरकारी सहायता का प्रकार

भारत सरकार  
का अंशदान

राज्य सरकार  
का अंशदान

लामुक का  
अंशदान\*\*

\*\*इकाई लागत की कुल 40% सहायता

(भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सामान्य को टिके लिए)

\*\* SC / ST एवं महिलाओं के लिए विशेष सहायता-इकाई लागत का कुल 60 % (भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा)

इस योजना अंतर्गत प्रस्तावित कार्य विस्तृत विवरणी, इकाई लागत तथा योजना हेतु अन्य-आवश्यक माप-दण्डों की विस्तृत विवरणी मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के वेबसाइट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर उपलब्ध है अथवा भारत सरकार, मात्स्यिकी, पशुपालन एवं गाय विकास मंत्रालय के वेबसाइट ([www.dof.gov.in](http://www.dof.gov.in)) पर PMMSY Guidelines भी उपलब्ध है।

विशेष जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक अपने जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

मछली पालन को अपनाएँ रोजगार के नये अवसर पाएँ

निदेशक मत्स्य  
झारखण्ड, राँची

# प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई लागत

(वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु)

| क्र० सं० | प्रस्तावित कार्य  | इकाई      | इकाई लागत (लाख रु० में) | सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान की राशि |                            | अभ्युक्ति |
|----------|---|-----------|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
|          |   |           |                         | सामान्य जाति                          | अनु०जाति/अनु० जनजाति/महिला |           |
| 1        | 2   | 3         | 4                       | 5                                     | 6                          | 7         |
| 1        | कार्प हैचरी अधिष्ठापन कार्य   | (स० में)  | 25.00                   | 10.00                                 | 15.00                      |           |
| 2        | स्कैम्पी हैचरी अधिष्ठापन कार्य  | (स० में)  | 50.00                   | 20.00                                 | 30.00                      |           |
| 3        | नये रियरिंग तालाब का निर्माण (नर्सरी/बीज रियरिंग तालाब)   | (हे० में) | 7.00                    | 2.80                                  | 4.20                       |           |
| 4        | नये ग्रे आउट तालाब का निर्माण   | (हे० में) | 7.00                    | 2.80                                  | 4.20                       |           |
| 5        | मिश्रित मत्स्य पालन, पंगेशियस एवं तिलापिया पालन आदि के लिए इनपुट (उपरोक्त अंकित नये तालाबों के निर्माण में)   | (हे० में) | 4.00                    | 1.60                                  | 2.40                       |           |
| 6        | बायोफ्लॉक तालाबों का निर्माण (4 लाख रु० प्रति हे० इनपुट सहित)   | 0.1 हे०   | 14.00                   | 5.60                                  | 8.40                       |           |
| 7        | जलाशयों में अंगुलिकाओं का संचयन @1000 अंगुलिकारै प्रति हे० (3.00 लाख रु० प्रति एक लाख अंगुलिकाओं हेतु)  | (हे० में) | Rs.@03/Fingerling       | Rs.@1.20/Fingerling                   | Rs.@1.80/Fingerling        |           |
| 8        | बैकयॉर्ड सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों की रियरिंग इकाई   | (स० में)  | 3.00                    | 1.20                                  | 1.80                       |           |
| 9        | मध्यम आकार के सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों की रियरिंग इकाई  | (स० में)  | 8.00                    | 3.20                                  | 4.80                       |           |
| 10       | समेकित सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछली इकाई (ब्रीडिंग एवं रियरिंग हेतु)   | (स० में)  | 25.00                   | 10.00                                 | 15.00                      |           |
| 11       | मीठे जल हेतु सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछलियों के ब्रूड बैंक की स्थापना  | (स० में)  | 100.00                  | 40.00                                 | 60.00                      |           |
| 12       | मात्स्यिकी संबंधी मनोरंजक गतिविधियों को प्रोत्साहन (Promotion of Recreational Fisheries)  | (स० में)  | 50.00                   | 20.00                                 | 30.00                      |           |
| 3        | बड़े आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 90 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 08 टैंक एवं 40 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता) अथवा 04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उँचाई के 50 टैंक वाले बायोफ्लॉक की स्थापना | (स० में)  | 50.00                   | 20.00                                 | 30.00                      |           |



|    |   |           |        |       |       |
|----|---|-----------|--------|-------|-------|
| 14 | मध्यम आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (कम से कम 30 घनमीटर प्रति क्षमता वाले 06 टैंक एवं 10 टन/कार्प मछली उत्पादन की क्षमता) अथवा 04 मी० व्यास एवं 1 मी० उचाई के 25 टैंक वाले बायोफ्लॉक की स्थापना | (स० में)  | 25.00  | 10.00 | 15.00 |
| 15 | छोटे आकार के आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना (100 घनमीटर क्षमता का 01 टैंक) अथवा 04 मी० व्यास एवं 1.5 मी० उँचाई के 7 टैंक वाले बायोफ्लॉक की स्थापना   | (स० में)  | 7.50   | 3.00  | 4.50  |
| 16 | बैकयॉर्ड मिनी आर०ए०एस० (रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम) इकाई की स्थापना   | (स० में)  | 0.50   | 0.20  | 0.30  |
| 17 | जलाशयो में केज अधिष्ठापन  | (स० में)  | 3.00   | 1.20  | 1.80  |
| 18 | आर०ए०एफ०/पेन कल्चर द्वारा मत्स्य पालन   | (हे० में) | 3.00   | 1.20  | 1.80  |
| 19 | कम से कम 10 टन क्षमता वाले शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)/आईस प्लाट निर्माण  | (स० में)  | 40.00  | 16.00 | 24.00 |
| 20 | कम से कम 20 टन क्षमता वाले शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)/आईस प्लाट निर्माण  | (स० में)  | 80.00  | 32.00 | 48.00 |
| 21 | कम से कम 30 टन क्षमता वाले शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)/आईस प्लाट निर्माण  | (स० में)  | 120.00 | 48.00 | 72.00 |
| 22 | कम से कम 50 टन क्षमता वाले शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज)/आईस प्लाट निर्माण  | (स० में)  | 150.00 | 60.00 | 90.00 |
| 23 | शीत गृह (कोल्ड स्टोरेज) आईस प्लाट का आधुनिकीकरण   | (स० में)  | 50.00  | 20.00 | 30.00 |
| 24 | रेफ्रिजरेटेड वाहन   | (स० में)  | 25.00  | 10.00 | 15.00 |
| 25 | इनसुलेटेड वाहन  | (स० में)  | 20.00  | 8.00  | 12.00 |
| 26 | आईस बॉक्स के साथ मोटरसाईकिल   | (स० में)  | 0.75   | 0.30  | 0.45  |
| 27 | आईस बॉक्स के साथ साईकिल   | (स० में)  | 0.10   | 0.04  | 0.06  |
| 28 | मछली बिक्री के लिए आईस बॉक्स के साथ तीन पहिया वाहन (ई-रिक्शा भी)  | (स० में)  | 3.00   | 1.20  | 1.80  |
| 29 | जिदा मछली बिक्री केन्द्र  | (स० में)  | 20.00  | 8.00  | 12.00 |
| 30 | लघु फिश फीड मिल (प्रतिदिन 02 टन उत्पादन क्षमता)   | (स० में)  | 30.00  | 12.00 | 18.00 |

|    |   |   |  |        |        |  |  |
|----|---|---|--|--------|--------|--|--|
| 31 | मध्यम फिश फीड मिल (प्रतिदिन 08 टन उत्पादन क्षमता)   | (सं० में)   | 100 00   | 40 00  | 60 00  |  |  |
| 32 | बृहत फिश फीड मिल (प्रतिदिन 20 टन उत्पादन क्षमता)  | (सं० में)   | 200 00   | 80 00  | 120 00 |  |  |
| 33 | फिश फीड प्लाट (प्रतिदिन कम से कम 100 टन उत्पादन क्षमता)   | (सं० में)   | 650 00   | 260 00 | 390 00 |  |  |
| 34 | खुदरा मछली बाजार का निर्माण (सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछली एवं एक्वेरियम बाजार सहित)  | (सं० में)   | 100 00   | 40 00  | 60 00  |  |  |
| 35 | फिश कियोस्क का निर्माण (सजावटी/रंगीन/अलंकारी मछली एवं एक्वेरियम सहित)   | (सं० में)   | 10 00  | 4 00   | 6 00   |  |  |
| 36 | मछली के मूल्य सर्वाधिक उत्पाद इकाई (फिश वैल्यू एडेड इन्टरप्राइजेज)  | (सं० में)   | 50 00  | 20 00  | 30 00  |  |  |
| 37 | मछली एवं मछली उत्पादों की ई-ट्रेडिंग एवं ई-बाजार हेतु ई-प्लेटफॉर्म  | DPR (Detailed Project Report) / SCP (Self Contained Proposal) पर आधारित |  |        |        |  |  |
| 38 | Establishment of Disease diagnostic and quality testing labs (मछलियों की बीमारी की पहचान एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला की स्थापना)                             | (सं० में)   | 25 00  | 10 00  | 15 00  |  |  |
| 39 | Establishment of Disease diagnostic and quality testing Mobile labs/Clinics (मछलियों की बीमारी की पहचान एवं गुणवत्ता की जाँच हेतु चलंत प्रयोगशाला/क्लीनिक की स्थापना) | (सं० में)   | 35 00  | 14 00  | 21 00  |  |  |
| 40 | प्रसार एवं सहयोग सेवाएँ (मत्स्य सेवा केन्द्र)   | (सं० में)   | 25 00  | 10 00  | 15 00  |  |  |
| 41 | आर्थिक रूप से कमजोर पारम्परिक मछुआरों हेतु मछली शिकारमाही पर प्रतिबंध के समय आर्थिक सहयोग   | (सं० में)   | केन्द्रांश -1500 ₹ + राज्यांश - 1500 ₹ + लाभुक अंशदान - 1500 ₹ = 4500 ₹ प्रति वर्ष |        |        |  |  |
| 42 | मछुआरों का बीमा   | (सं० में)   | बीमित द्वारा कोई प्रीमियम देय नहीं   |        |        |  |  |

(उपर्युक्त अंकित इकाई लागत पर इस योजना हेतु गठित समितियों अथवा भारत सरकार का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा)

for

10/7/2020  
निदेशक मत्स्य  
झारखण्ड, राँची